



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102021-230629
CG-DL-E-22102021-230629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943

No. 608]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 751(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उपधारा (2) के खण्ड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और लागू होना- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021 है।
 - ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - ये नियम उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होंगे।
- परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
 - “करार” से अधिनियम के अधीन विद्युत के क्रय, आपूर्ति अथवा पारेषण के लिए किया गया करार अभिप्रेत है;
 - जब तक कि करार में अन्यथा परिभाषित न हो, टैरिफ के संबंध में, “विधि में परिवर्तन” से अधिनियम की धारा 62 अथवा धारा 63 के अधीन टैरिफ के निर्धारण के पश्चात किया गया, किसी-किसी का अधिनियमन अथवा संशोधन अथवा निरसन अभिप्रेत है, जिसके फलस्वरूप लागत में तत्स्थानी परिवर्तन द्वारा अपेक्षित टैरिफ में परिवर्तन है, और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
 - किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी विधि के निर्वचन में परिवर्तन; अथवा

- (ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शुल्क, उद्ग्रहण, उपकर, प्रभार अथवा अधिभार सहित किसी भी घरेलू कर में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप लागत में तत्स्थानी परिवर्तन हो; अथवा
- (iii) विद्युत की खरीद, आपूर्ति अथवा पारेषण के लिए प्राप्त किए गए अथवा प्राप्त किए जाने वाले अनुमोदन या अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त में परिवर्तन, जब तक कि विद्युत की खरीद, आपूर्ति अथवा पारेषण के लिए करार में विशिष्ट रूप से अपवर्जित न किया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप लागत में कोई परिवर्तन हो,

परंतु निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है-

- (क) उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के शेयरधारकों को वितरित आय अथवा लाभांश पर किसी प्रकार की कर कटौती में कोई परिवर्तन; अथवा
- (ख) उपयुक्त आयोग द्वारा विचलन समाधान प्रभार अथवा आवृत्ति अंतराल के संबंध में परिवर्तन;
- (ग) "विधि" में, भारत देश में, वर्तमान समय में प्रवृत्त कोई अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना सम्मिलित है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस परिभाषा में हैं।

3. विधि में परिवर्तन पर टैरिफ का समायोजन- (1) विधि में परिवर्तन होने पर, मासिक टैरिफ अथवा प्रभारों को समायोजित किया जाएगा और प्रभावित पक्ष की क्षतिपूर्ति करने के लिए इन नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी जिससे प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में पुनर्स्थापित किया जा सके कि जैसे विधि में ऐसा कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं था।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ, उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, प्रभावित पक्ष के रूप में, जो विधि में परिवर्तन के कारण लागत को समायोजित और वसूल करने का प्रभाव रखता है, अन्य पक्ष को टैरिफ या प्रभारों के प्रस्तावित घनात्मक अथवा अन्य पक्ष से वसूली योग्य ऋणात्मक प्रभाव, के बारे में तीन सप्ताह पूर्व नोटिस देगा।

(3) प्रभावित पक्ष विधि में परिवर्तन होने के तीस दिनों के भीतर अथवा उप-नियम (2) में संदर्भित नोटिस की तारीख से तीन सप्ताह की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, समायोजित और वसूल किए जाने वाले टैरिफ अथवा प्रभारों के प्रभाव का परिकलन दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करेगा, और टैरिफ अथवा प्रभारों में प्रस्तावित प्रभाव की वसूली टैरिफ के अगले बिलिंग चक्र से शुरू होगी।

(4) समायोजित और वसूल किए जाने वाले विधि में परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन एक बारगी अथवा मासिक प्रभारों अथवा प्रति यूनिट आधार पर अथवा उनके संयोजन के रूप में किया जाएगा और टैरिफ के हिस्से के रूप में मासिक बिल से वसूल किया जाएगा।

(5) समायोजित और वसूल किए जाने वाले विधि में परिवर्तन के प्रभाव की राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगी-

(क) जहां करार ऐसे फार्मूले के अनुसार, कोई फार्मूला निर्धारित करता है; अथवा

(ख) जहां करार इन नियमों की अनुसूची में दिए गए फार्मूले के अनुसार कोई फार्मूला निर्धारित नहीं करता है।

(6) नियत राशि के मामले में, प्रभावित राशि निम्नानुसार वसूल की जाएगी-

(क) उत्पादन परियोजना के मामले में, एक सौ अस्सी माह की अवधि के भीतर; अथवा

(ख) आवृत्ति प्रभाव के मामले में, जब तक प्रभाव बना रहता है।

(7) उत्पादक कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, विधि में परिवर्तन के प्रभाव की वसूली के प्रभावी होने के तीस दिनों के भीतर, मासिक टैरिफ अथवा प्रभारों के प्रभाव की राशि के समायोजन के लिए उपयुक्त आयोग के परिकलन के ब्यौरे के साथ सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(8) उपयुक्त आयोग उप-नियम (7) के अधीन संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर परिकलन को सत्यापित करेगा और प्रभाव की राशि को मासिक टैरिफ अथवा प्रभारों में समायोजित करेगा।

(9) उप-नियम (8) के अधीन मासिक टैरिफ अथवा प्रभारों के प्रभाव की राशि के समायोजन के बाद, उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभावित पक्ष को भुगतान वार्षिक वार्षिकी राशि से अधिक न हो, वास्तविक वसूली गई राशि के आधार पर मासिक टैरिफ अथवा प्रभारों को वार्षिक रूप से समायोजित करेगा।

अनुसूची

[नियम 5(ख) देखें]

विधि में परिवर्तन के कारण टैरिफ अथवा प्रभारों पर प्रभाव के निर्धारण के लिए सूत्र

विधि में परिवर्तन के प्रभाव के कारण मासिक टैरिफ के समायोजन की गणना करने का सूत्र, जो अनावर्ती प्रकृति का है-

उत्पादन परियोजना के लिए:-

मान लें कि विधि में परिवर्तन का वित्तीय प्रभाव = P;

तो वित्तीय प्रभाव की प्रतिपूर्ति के लिए मासिक टैरिफ (MT) में संशोधन को—

$$MT = \frac{Y}{X}$$

द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।

जहां X = अनुमानित मासिक विद्युत उत्पादन (केडब्ल्यूएच में) = (1/12) × [करार के अनुसार विद्युत संयंत्र की अनुबंधित क्षमता (मेगावाट में) × करार के अनुसार नियामक संयंत्र भार गुणक (पीएलएफ) या उपलब्धता गुणक* अथवा क्षमता उपयोग गुणक (सीयूएफ) (आरई के मामले में) (% में) × 8760 घंटा × 10];

(* जहां पीएलएफ और सीयूएफ उपलब्ध नहीं कराया गया है, वहां करार में वर्णित उपलब्धता गुणक पर विचार किया जाए। तथापि, वास्तविक उत्पादन के संदर्भ में इसका वार्षिक आधार पर मिलान किया जाएगा।)

$$\text{और } Y = \frac{(P \times M_r)(1 + M_r)^n}{(1 + M_r)^n - 1};$$

जहां,—

n = महीनों की संख्या जिस पर वित्तीय प्रभाव का भुगतान किया जाना है (अनावर्ती निश्चित राशि के मामले में अधिकतम 180 महीने के अध्यक्षीन किंतु आवर्ती प्रभाव के मामले में इस प्रभाव के जारी रहने तक होगा); तथा

$$M_r = \text{ब्याज की मासिक किश्त} = \frac{R}{12 \times 100};$$

जहां R = केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा परियोजना चालू होने के वर्ष के लिए पारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (जो भी लागू हो) से टैरिफ निर्धारण के लिए अपने आदेश में ऋण घटक पर ब्याज की वार्षिक दर (% में)। संबंधित वर्ष के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के संबंधित आदेशों की अनुपस्थिति में, ऐसी अवधि के लिए अंतिम उपलब्ध छह महीने के दौरान प्रचलित, एक वर्ष की अवधि की, भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित औसत अग्रणी दर पर औसत ब्याज दर जमा 200 आधार अंक की ब्याज दर होगी।

इसके अतिरिक्त, उत्पादन कंपनी या मध्यवर्ती क्रेता या ट्रेडिंग अनुज्ञप्तिधारी वर्ष के वास्तविक उत्पादन के आधार पर वार्षिक MT का मिलान करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित पक्षकार को भुगतान वार्षिक वार्षिकी राशि पर सीमित किया गया है।

[फा. सं. 23/18/2020-आरएंडआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2021

G.S.R. 751(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1), read with clause (z) of sub-section (2), of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Electricity (Timely Recovery of Costs due to Change in Law) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to a generating company and transmission licensee.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) “agreement” means an agreement for the purchase, supply or transmission of electricity entered into under the Act;

(c) “change in law”, in relation to tariff, unless otherwise defined in the agreement, means any enactment or amendment or repeal of any law, made after the determination of tariff under section 62 or section 63 of the Act, leading to corresponding changes in the cost requiring change in tariff, and includes—

(i) a change in interpretation of any law by a competent court; or

(ii) a change in any domestic tax, including duty, levy, cess, charge or surcharge by the Central Government, State Government or Union territory administration leading to corresponding changes in the cost; or

(iii) a change in any condition of an approval or license obtained or to be obtained for purchase, supply or transmission of electricity, unless specifically excluded in the agreement for the purchase, supply or transmission of electricity, which results in any change in the cost,

but does not include—

(A) any change in any withholding tax on income or dividends distributed to the shareholders of the generating company or transmission licensee; or

(B) change in respect of deviation settlement charges or frequency intervals by an Appropriate Commission;

(d) “law” includes any Act, Ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, for the time being in force, in the territory of India.

(2) The words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Adjustment in tariff on change in law.— (1) On the occurrence of a change in law, the monthly tariff or charges shall be adjusted and be recovered in accordance with these rules to compensate the affected party so as to restore such affected party to the same economic position as if such change in law had not occurred.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the generating company or transmission licensee, being the affected party, which intends to adjust and recover the costs due to change in law, shall give a three weeks prior notice to the other party about the proposed impact in the tariff or charges, positive or negative, to be recovered from such other party.

(3) The affected party shall furnish to the other party, the computation of impact in tariff or charges to be adjusted and recovered, within thirty days of the occurrence of the change in law or on the expiry of three weeks from the date of the notice referred to in sub-rule (2), whichever is later, and the recovery of the proposed impact in tariff or charges shall start from the next billing cycle of the tariff.

(4) The impact of change in law to be adjusted and recovered may be computed as one time or monthly charges or per unit basis or a combination thereof and shall be recovered in the monthly bill as the part of tariff.

(5) The amount of the impact of change in law to be adjusted and recovered, shall be calculated—

(a) where the agreement lays down any formula, in accordance with such formula; or

(b) where the agreement does not lay down any formula, in accordance with the formula given in the Schedule to these rules;

(6) The recovery of the impacted amount, in case of the fixed amount shall be,—

(a) in case of generation project, within a period of one-hundred eighty months; or

(b) in case of recurring impact, until the impact persists.

(7) The generating company or transmission licensee shall, within thirty days of the coming into effect of the recovery of impact of change in law, furnish all relevant documents along with the details of calculation to the Appropriate Commission for adjustment of the amount of the impact in the monthly tariff or charges.

(8) The Appropriate Commission shall verify the calculation and adjust the amount of the impact in the monthly tariff or charges within sixty days from the date of receipt of the relevant documents under sub-rule (7).

(9) After the adjustment of the amount of the impact in the monthly tariff or charges under sub-rule (8), the generating company or transmission licensee, as the case may be, shall adjust the monthly tariff or charges annually based on actual amount recovered, to ensure that the payment to the affected party is not more than the yearly annuity amount.

THE SCHEDULE

[See rule 5(b)]

FORMULA FOR DETERMINATION OF IMPACT IN TARIFF OR CHARGES DUE TO CHANGE IN LAW

Formula to calculate adjustment in the monthly tariff due to the impact of Change in Law, which is non-recurring in nature—

For Generation Project:—

Let financial impact of change in law = **P**;

then the modification in the monthly tariff (**MT**) for compensating the financial impact is given by—

$$MT = \frac{Y}{X}$$

where **X** = estimated monthly electricity generation (in kWh) = (1/12) × [contracted capacity of the power plant as per the Agreement (in MW) × Normative Plant Load Factor (PLF) or Availability factor* or Capacity Utilisation Factor (CUF) (in case of RE), as per the Agreement (in %) × 8760 hours × 10];

(* in case PLF and CUF is not provided, the availability factor mentioned in the agreement may be considered. However, it will be true up with reference to the actual generation on annual basis.)

$$\text{and } Y = \frac{(P \times M_r)(1 + M_r)^n}{(1 + M_r)^n - 1},$$

where,—

n = No. of months over which the financial impact has to be paid (subject to a maximum of 180 months in case of the non-recurring fixed amount but in case of recurring impact it will be till the impact persists); and

$$M_r = \text{monthly rate of interest} = \frac{R}{12 \times 100};$$

where **R** = annual rate of interest on loan component (in %) as considered by the Central Electricity Regulatory Commission in its Order for Tariff determination from Conventional or Renewable Energy Sources (whichever is applicable) for the year in which the project is commissioned. In absence of relevant Orders of the Central Electricity Regulatory Commission for the concerned year, the interest rate shall be average interest rate plus 200 basis points above the average State Bank of India Marginal Cost of Funds based leading rate, of one year tenor, prevalent during the last available six months for such period.

Further, generating company or intermediary procurer or the trading licensee shall true up the MT annually based on actual generation of the year so as to ensure that the payment to the affected party is capped at the yearly annuity amount.

[F. No. 23/18/2020-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 752(अ).—केंद्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित, उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "मध्यवर्ती क्रेता" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनी के बीच, या तो विभिन्न उत्पादकों से खरीदी गई विद्युत एकत्रित करने और इसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बेचने, या क्रेडिट प्रोफाइल बढ़ाने के लिए अपेक्षित एक मध्यस्थ कंपनी अभिप्रेत है।

(ग) "मस्ट रन विद्युत संयंत्र" से नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन मस्ट रन विद्युत संयंत्र माना गया, विद्युत संयंत्र अभिप्रेत है;

(घ) अभिव्यक्ति "क्रेडिट प्रोफाइल", "मेरिट ऑर्डर डिस्पैच", "डे अहेड मार्केट", "रियल टाइम मार्केट", "बकेट फिलिंग बेसिस" और "ट्रेडिंग मार्जिन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाई गई राष्ट्रीय विद्युत नीति या टैरिफ नीति के अधीन उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस परिभाषा में हैं।

3. मस्ट रन विद्युत संयंत्र- (1) पवन, सौर, पवन-सौर हाइब्रिड या हाइड्रो विद्युत संयंत्र (अतिरिक्त पानी के कारण स्पिलेज की स्थिति में) या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य स्रोत का विद्युत संयंत्र, जिसने विद्युत के विक्रय हेतु किसी व्यक्ति से करार किया हो, को एक मस्ट रन विद्युत संयंत्र माना जाएगा।

(2) मस्ट रन विद्युत संयंत्र मेरिट ऑर्डर डिस्पैच या किसी अन्य वाणिज्यिक कारण से विद्युत के उत्पादन या आपूर्ति में कटौती या विनियमन के अधीन नहीं होगा:

परन्तु विद्युत ग्रिड में किसी तकनीकी बाधा की स्थिति में या विद्युत ग्रिड की सुरक्षा के कारणों के लिए मस्ट रन विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत की कटौती या विनियमन किया जा सकता है:

परन्तु यह भी कि विद्युत की कटौती या विनियमन के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के उपबंधों का पालन किया जाएगा।

(3) मस्ट रन विद्युत संयंत्र से आपूर्ति में कटौती की स्थिति में, विद्युत की खरीद या आपूर्ति के लिए खरीदार द्वारा मस्ट रन विद्युत संयंत्र को करार में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिकर देय होगा।

(4) जहां, बिजली ग्रिड में किसी तकनीकी बाधा की स्थिति में या बिजली ग्रिड की सुरक्षा के कारणों के लिए, खरीदार डे अहेड मार्केट या रियल टाइम मार्केट या विद्युत एक्सचेंज में समय-समय पर शुरू किए गए किसी अन्य उत्पाद से पहले मस्ट रन विद्युत संयंत्र को कटौती के लिए नोटिस देता है, तो मस्ट रन विद्युत संयंत्र खरीदार द्वारा शिड्यूल नहीं की गई विद्युत को विद्युत एक्सचेंज में बेच देगा।

(5) विद्युत एक्सचेंज में विद्युत की ऐसी बिक्री से ऐसे मस्ट रन विद्युत संयंत्र द्वारा वसूल की गई राशि, विद्युत एक्सचेंज में बिक्री के लिए भुगतान किए गए वास्तविक खर्चों, यदि कोई हों, को काटने के बाद, उप-नियम (3) के अधीन खरीदार द्वारा देय प्रतिकर से समायोजित की जाएगी।

(6) प्रतिकर से संबंधित राशि की वसूली में किसी कमी का खरीदार द्वारा मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

(7) किसी महीने में विद्युत एक्सचेंज में विद्युत की बिक्री से वसूली गई किसी अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को आगे ले जाया जाएगा और अगले महीने या महीनों में समायोजित किया जाएगा।

(8) अतिरिक्त वसूल की गई राशि का अंतिम समायोजन, यदि कोई हो, तो मस्ट रन विद्युत संयंत्र द्वारा खरीदार को इसका भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक महीने के भीतर किया जाएगा।

4. वितरण अनुज्ञप्तिधारकों के लिए विद्युत खरीदने हेतु मध्यस्थ खरीदार- (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित अभिकरण, मध्यस्थ खरीदार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक या उससे अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को बिक्री के लिए विद्युत खरीद सकता है।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट मध्यस्थ खरीदार को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, मस्ट रन विद्युत संयंत्र से विद्युत खरीदने और उसे एक या अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को बेचने वाला व्यापारी माना जाएगा।

(3) बकेट फिलिंग आधार पर बोली के मामले में, जहां बोली में विनिर्दिष्ट विद्युत की पूरी मात्रा को पूरा करने के लिए, सफल बोलीदाताओं के रूप में, अलग-अलग दरों पर, अनेक उत्पादक कंपनियों का चयन किया जाता है, तो उस बोली के लिए सभी चयनित बोलियों का भारित औसत परिणामी बोली दर होगी और मध्यस्थ खरीदार या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खरीदार को उक्त परिणामी बोली दर पर विद्युत की बिक्री की पेशकश की जा सकती है:

(4) उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट परिणामी बोली दर की रीति, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों के तहत संचालित बोली प्रक्रिया में चयनित आपूर्तिकर्ताओं से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर आधारित विद्युत की बिक्री के लिए, इन नियमों के प्रारंभ से पहले, मध्यस्थ खरीदार और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के बीच किए गए करारों पर भी लागू होगा।

(5) उपयुक्त आयोग, मध्यस्थ खरीदार या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे आवेदन किए जाने पर, संबंधित पक्षों को सुनने के बाद भारित औसत टैरिफ को अपना सकता है।

(6) उपयुक्त आयोग वास्तविक के आधार पर टैरिफ की दर को वार्षिक आधार पर समायोजित करेगा।

(7) मध्यस्थ खरीदार को, इन नियमों के अधीन विद्युत की बिक्री से, करारों या विनियमों में विनिर्दिष्ट या उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किए अनुसार, केवल ट्रेडिंग मार्जिन बनाए रखने की अनुमति होगी।

[फा. सं. 23/18/2020-आरएंडआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

G.S.R. 752(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1), read with clause (z) of sub-section (2), of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) “intermediary procurer” means an intermediary company, nominated by the Central Government or the State Government, between the distribution licensees and the generating company, required either to aggregate the purchased of electricity from different generators and sell it to the distribution licensee, or to enhance the credit profile;

(c) “must-run power plant” means a power plant, deemed to be a must-run power plant under sub-rule (1) of rule 3;

(d) the expressions “credit profile”, “merit order dispatch”, “day ahead market”, “real time market”, “bucket filling basis” and “trading margin” shall have the meanings respectively assigned to them under the National Electricity Policy or the Tariff Policy made under section 3 of the Act.

(2) The words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Must-run power plant.—(1) A wind, solar, wind-solar hybrid or hydro power plant (in case of excess water leading to spillage) or a power plant from any other sources, as may be notified by the Appropriate Government, which has entered into an agreement to sell the electricity to any person, shall be treated as a must-run power plant.

(2) A must-run power plant shall not be subjected to curtailment or regulation of generation or supply of electricity on account of merit order dispatch or any other commercial consideration:

Provided that electricity generated from a must-run power plant may be curtailed or regulated in the event of any technical constraint in the electricity grid or for reasons of security of the electricity grid:

Provided further that for curtailment or regulation of power, the provisions of the Indian Electricity Grid Code shall be followed.

(3) In the event of a curtailment of supply from a must-run power plant, compensation shall be payable by the procurer to the must-run power plant at the rates specified in the agreement for purchase or supply of electricity.

(4) Where, in the event of any technical constraint in the electricity grid or for reasons of security of the electricity grid, procurer gives the notice for curtailment to the must-run power plant in advance, prior to the start of the day ahead market or real time market or any other product introduced from time to time in the power exchange, the must-run power plant shall sell the electricity not scheduled by the procurer in the power exchange.

(5) The amount realised by such must-run power plant from such sale of electricity in a power exchange, after deducting actual expenses paid for the sale in the power exchange, if any, shall be adjusted against the compensation payable by the procurer under sub-rule (3).

(6) Any deficit in realisation of amount, with respect to the compensation shall be paid by the procurer on monthly basis.

(7) Any excess realisation of amount during a month from sale of electricity in a power exchange, if any, shall be carried forward and adjusted in the next month or months.

(8) The final adjustment of excess realisation of amount, if any, shall be paid by the must-run power plant to the procurer within one month of the close of the financial year.

4. Intermediary procurer to procure electricity for distribution licensees.—(1) The intermediary procurer, an agency nominated by the Central Government or State Government, may procure electricity through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government under section 63 of the Act for sale to one or more distribution licensees.

(2) The intermediary procurer referred to in sub-rule (1) shall be deemed to be a trader for the purposes of the Act, buying electricity from the must-run power plant and selling the same to one or more distribution licensees.

(3) In case of a bid on the bucket filling basis, where multiple generating companies, as successful bidders, are selected at different rates in order to meet the full quantum of electricity specified in the bid, the weighted average of all the selected bids shall be the resultant bid rate for that bid and power may be offered by the intermediary procurer or trading licensee for sale at the said resultant bid rate to the procurer:

(4) The manner of resultant bid rate specified under sub-rule (3), shall also be applicable to agreements entered into between the intermediary procurer and distribution licensees, prior to the commencement of these rules, for sale of electricity based on sources of renewable energy from suppliers selected in a bidding process conducted under the guidelines issued by the Central Government under section 63 of the Act.

(5) The Appropriate Commission, on application made to it by the intermediary procurer or distribution licensee, may adopt the weighted average tariff after hearing the parties concerned.

(6) The Appropriate Commission shall adjust the rate of tariff on annual basis based on the actuals.

(7) The intermediary procurer, from the sale of electricity under these rules, shall be allowed to retain only the trading margin as specified in the agreements or the regulations or as may be determined by the Appropriate Commission.

[F. No. 23/18/2020–R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.